

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,

जिला बालाघाट (म0प्र0)

समक्ष:-दिलीप सिंह

आर.सी.एस.-4बी / 2016

संस्थित दिनांक-14.12.2016

1. सोनसिंह धुर्वे, उम्र-44 वर्ष, पिता श्री खेतुसिंह, जाति गोंड,
पेशा-मजदूरी निवासी-वार्ड क-13 खिरसाड़ी, पो. पाण्डुतला,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

.....वादी

- / / विरुद्ध / / -

1. मिश्रीलाल उईके उम्र 56 वर्ष पिता स्व. श्री रजपालसिंह उईके जाति गोंड
पेशा-लाईनमेन विद्युत शिकायत केन्द्र मुख्यालय मोतीनाला जिला मण्डला
निवासी-धनपुरी, थाना बम्हनी बंजर जिला मण्डला

2. कनिष्ठ यंत्री-मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
सिझौरा पुलिस थाना एवं तहसील भुआ-बिछिया जिला मण्डला

3. जेतुसिंह सैयाम उम्र-60 वर्ष पिता श्री शोभित सैयाम, जाति गोंड
निवासी-खिरसाड़ी तहसील बैहर, जिला बालाघाट

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर बालाघाट
तहसील एवं जिला बालाघाट म.प्र.

.....प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-30.01.2018 को घोषित)

1. वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध 3,00,000 / - (तीन लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

2. वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ग्राम खिरसाड़ी का निवासी है, जिसकी वार्षिक आय 16000 / - रुपये है। प्रति.क.1 म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. मुख्यालय मोतीनाला में लाईनमेन के पद पर कार्यरत है, जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिरसाड़ी आता है। प्रति.क.2 म.प्र.

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. मुख्यालय सिझौरा, थाना व तह. भुआ-बिछिया, जिला मण्डला में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ है। प्रति.क.1, प्रति.क.2 के निर्देशन में अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। घटना प्रति.क.3 के खेत में लगे विद्युत खंभे के तारों से हुई थी। वादी निर्धन व्यक्ति है। घटना दिनांक-28.06.15 को प्रति.क.3 एवं उसकी बहु सुकलाबाई ने वादी को उसके नागर-बैल-बोदा लेकर खार भरने(धान बोने) के लिए मजदूरी पर बुलाया था। वादी उसके पुत्र राकेश के साथ जेठू के खेत पर गया था। वादी ने नागर जोतकर धान की बोनी की थी एवं बैल व बोदे को चराने का कार्य उसके पुत्र राकेश व उसके मित्र मितेन्द्र को सौंपा था। लगभग शाम 5:30 बजे वादी के बैल व बोदे चरते हुए जेठुसिंह के खेत से आगे की ओर जाने लगे थे उसी तरफ खेत में लगे विद्युत खंभे के नीचे लापरवाहीपूर्वक झूलते हुए विद्युत तार ग्राम मोतीनाला से आने वाली 11 के.व्ही. विद्युत लाईन के थे, जो ग्राम खिरसाड़ी होते हुए ग्राम खलौंडी-चंदनगांव की ओर गई है। उक्त लाईन की देखरेख का जिम्मा प्रति.क. 1 का था। प्रति.क.3 के खेत में लगे विद्युत खंभे के नीचे लगे तार से बैल-बोदो को बचाने के लिए वादी का पुत्र राकेश दौड़ा था, उसी समय बैल व बोदे राकेश की ओर बढ़े, तभी राकेश उपरोक्त लापरवाहीपूर्वक लगाए गए झूलते हुए विद्युत कनेक्शन के तारों के संपर्क में आ गया था और करंट लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना प्रति.क.1 व 2 द्वारा लगाए गए विद्युत कनेक्शन के तार के कारण हुई थी। विद्युत तार जमीन से महज 3-4 फीट की उंचाई पर खुले नंगे तार थे, जिन्हें प्रति.क.1 व 2 ने लापरवाहीपूर्वक लगाया था। वादी के पुत्र राकेश की मृत्यु के लिए प्रति.क.1 व 2 जिम्मेदार हैं। दावा की राशि पर 36,000/-रुपया न्यायशुल्क अदा होना है, किन्तु वादी निर्धन व्यक्ति होने के कारण न्यायशुल्क अदा नहीं कर पा रहा है, पृथक से छूट प्राप्त की गई है। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में प्रति.क.-1, 2 ने वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर उनके विशिष्ट कथन में बताया है कि उक्त घटना उनकी लापरवाही से नहीं हुई है। घटना के लिए स्वयं वादी जिम्मेदार है। वादी द्वारा लाईनमेन एवं कनिष्ठ यंत्री को पक्षकार बनाया गया है,

किन्तु वाद के निराकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा उसके वादपत्र में अभिवचन किया गया है कि वादी उसके पुत्र के साथ जेठुसिंह व उसकी बहु सुकलाबाई के खेत में मजदूरी से खार भरने के लिए नागर बैल लेकर गया था एवं स्वयं ने धान की बोनी की थी एवं मृतक को बैल-बोदे चराने का कार्य सौंपा था। चरते हुए बैल विद्युत लाईन की ओर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वादी का पुत्र दौड़ा था, जो विद्युत लाईन की चपेट में आ गया था और घटना हो गई थी, इसके लिए वादी एवं खेत वाला स्वयं जिम्मेदार है। जब उन लोगों ने देखा था कि विद्युत लाईन का तार नीचे झुका हुआ है, तो उसकी सर्वप्रथम शिकायत विद्युत विभाग को की जानी थी और मजदूरी पर कार्य किये जाने के लिए इंकार किया जाना था एवं वादी द्वारा उसके मृतक पुत्र को बैल चराने का काम नहीं बताना था।

4. प्रति.क.1 एवं 2 ने उनके जवाबदावा में यह भी बताया है कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत लाईन के मेंटेनेंस का कार्य वर्ष में 2 बार किया जाता है। उक्त लाईन का मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। 11 के.व्ही. की विद्युत लाईन पूर्व से जैसी स्थित थी, ठीक दशा में वैसे ही खड़ी थी। उक्त विद्युत लाईन से अन्य ग्रामों में विद्युत सप्लाई की जाती है। विद्युत लाईन के तारों के नीचे आने की कोई सूचना या शिकायत विद्युत विभाग को कोई ग्रामीण या खेत वालों के द्वारा नहीं दी गई थी। विद्युत विभाग द्वारा किये गए मेंटेनेंस के समय भी विद्युत लाईन सही स्थिति में पाई गई थी। दिनांक-28.06.15 को 5:00 से 6:00 बजे के बीच प्रति.क.1 व 2 को सूचना मिली थी कि ग्राम खिरसाड़ी में विद्युत लाईन से घटना घटी है, तब सूचना प्राप्त होते ही विद्युत सप्लाई 11 के.व्ही. फीडर बंद करवाकर प्रति.क.1 व 2 तत्काल मौके पर पहुंचे थे तो देखा था कि खेत के पास से 11 के.व्ही. मोतीनाला फीडर निकला हुआ था जो बुडेला उपकेन्द्र से आता है। खेत में लगे पोल से 11 के.व्ही. का एक फेस का तार तेज आंधी तूफान से इंसुलेटर से निकल गया था, जो तार ढीले अवस्था में थे, जो मानव पहुंच से दूर थे। उन तारों के नीचे उतरने की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक या लिखित नहीं दी गई थी। उक्त लाईन के तार को तत्काल स्टाफ द्वारा सही स्थिति में किया गया था, विद्युत लाईन में कोई खराबी नहीं पाई गई थी। झूले हुए तार के पास एक लड़के का शव पड़ा हुआ

था, जिसकी मृत्यु तार के संपर्क में आने से हुई थी, ऐसा उपस्थित लोगों ने बताया था और यह भी बताया था कि मृतक मवेशियों को घास चरा रहा था, उसी समय विद्युत लाईन से दुर्घटना हुई थी। मौके का पंचनामा प्रति.क्र.2 द्वारा मौके पर उपस्थित साक्षियों के समक्ष बनाया गया था। विद्युत लाईन का तार तेज आंधी तूफान के कारण इन्सुलेटर से नीचे उतर गया था, इस कारण एक तार नीचे झूला था, लाईन में कोई खराबी नहीं थी। यह प्राकृतिक प्रकोप था। वादी प्रति.क्र. 1 एवं 2 से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

5. प्रकरण में प्रति.क्र.-3, 4 दिनांक-18.01.17 को एकपक्षीय हो गए हैं। इस कारण उनकी ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया गया है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्र.सं.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के पुत्र राकेश की मृत्यु करंट लगने से प्रतिवादीगण द्वारा की गई लापरवाही के कारण हुई ?	“प्रमाणित”
2	क्या वादी, प्रतिवादीगण से उसके पुत्र की मृत्यु के संबंध में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में तीन लाख रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“प्रमाणित”
3	क्या वादी, प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि पर 14% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है ?	“वादी 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-17 के अनुसार डिकी किया गया है।

वादप्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 का निराकरण:-

6. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इस कारण दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. सोनसिंह धुर्वे वा.सा.1 ने उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि राकेश धुर्वे उसका पुत्र था, जिसकी जन्मतिथि 10.02.2000 थी। घटना दिनांक 28.06.2015 को प्रति.क.3 ने नागर-बैल, बोदे लेकर वादी को धान बोने के लिए मजदूरी पर बुलाया था। वादी ने धान की बोनी कर बैल व बोदे चरने के लिए छोड़े थे। पुत्र राकेश एवं उसके मित्र को बैल-बोदे चराने का कार्य सौंपा था। शाम 5:30 बजे वादी के बैल-बोदे चरते हुए आगे जाने लगे थे। प्रति.क.3 के खेत में लगे विद्युत खंभे के नीचे लापरवाहीपूर्वक झूलते हुए तार ग्राम मोतीनाला से आने वाली 11 के.वी. विद्युत लाईन ग्राम खिरसाड़ी होते हुए ग्राम चन्दनगांव की ओर गई थी। विद्युत लाईन की देखरेख का कार्य ग्राम मोतीनाला में पदस्थ लाईनमेन मिश्रीलाल का था। खंभे की नीचे लगे तार से बैल-बोदे को बचाने के लिए वादी का पुत्र राकेश दौड़ा था, जिस समय बैल व बोदे राकेश की ओर बढ़े थे, तभी राकेश झूलते हुए विद्युत करंट के तार के संपर्क में आ गया था। विद्युत करंट लगने से वह बचाव-बचाव चिल्लाकर नीचे गिर गया था एवं विद्युत करंट से उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा लापरवाहीपूर्वक लगाए गए विद्युत कनेक्शन तार के कारण हुई थी। विद्युत तार जमीन से 3-4 फीट की उंचाई पर खुले नंगे तार थे। इस कारण वादी के पुत्र राकेश की असमय मृत्यु हुई थी। भूमि से 3-4 फीट उंचाई पर लटकते हुए तार की सूचना वादी एवं उसके भाई एवं अन्य ग्रामीणों ने कई बार प्रति.क.1 एवं 2 को दी थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया था।

8. सोनसिंह धुर्वे वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसे उसके पुत्र की मृत्यु से 300,000/-रुपये की क्षति हुई थी, जिसे वादी, प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। घटना की रिपोर्ट रामलाल ने दिनांक-28.06.15 को थाना गद्दी में की थी, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक श्री एन.एस. कुमारे से राकेश का पोस्टमार्टम कराया था। इसके बाद वादी ने उसके पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। मर्ग की जांच के उपरांत

दिनांक-18.07.2015 को पुलिस थाना गढ़ी द्वारा अपराध क्रमांक-49/2015 का प्रकरण प्रति.क्र.1 के विरुद्ध दर्ज किया था, जिसका आपराधिक प्रकरण क्र. 753/2015 है। वादी के पुत्र की मृत्यु के कारण वादी को अत्यधिक मानसिक, आर्थिक क्षति हुई है, इसलिए वादी, प्रतिवादीगण से 300,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के साक्षी रामलाल धुर्वे वा.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन कर वादी की साक्ष्य की पुष्टि की है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगा. 7 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

9. मिश्रीलाल प्र.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि वह एवं प्रति.क्र.2 घटना के लिए जवाबदार नहीं है। वादी स्वयं घटना के लिए जवाबदार है। वाद के निराकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता को पक्षकार नहीं बनाया है। वादी का मृतक पुत्र बैल-बोदे चराते हुए विद्युत लाईन की ओर गया था। बैल को बचाने के लिए वादी का पुत्र दौड़ा था, वह लाईन के संपर्क में आ गया था, जिससे घटना घटी थी। विद्युत लाईन का तार नीचे झुका था तो सर्वप्रथम उसकी शिकायत विद्युत विभाग को करना था। वादी उसके पुत्र को बैल-बोदे चराने के लिए सुरक्षित स्थान भेजता तो उक्त घटना नहीं घटती। उक्त खेत मालिक जेतुसिंह के खेत में विद्युत लाईन के तार झूल रहे थे, इसकी सूचना विद्युत विभाग को देकर सही करवाना था। खेत मालिक ने कोई सूचना नहीं दी थी, इस कारण खेत मालिक स्वयं जिम्मेदार है। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य के पैरा-7,8,9 में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए साक्ष्य के पैरा-10 में यह बताया है तेज आंधी-तूफान प्राकृतिक प्रकोप के कारण इन्सुलेटर के विद्युत तार नीचे उतर गए थे, लाईन में कोई खराबी नहीं थी। इस कारण विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं है। वादी, प्रति.क्र.1 को पक्षकार बनाकर विद्युत विभाग से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठे कथन कर रहा है।

10. संदीप सोनी प्रति. साक्षी क्र. 2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए प्रतिवादी साक्षी क्र. 1 की साक्ष्य के समान कथन कर यह बताया है कि वह म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिझोरा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थ है। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

11. वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। वादी सोनसिंह धुर्वे का मृतक राकेश पुत्र था, इस संबंध में वादी ने उसके परिवार का प्रदर्श पी-5 का राशन कार्ड प्रस्तुत किया है। उक्त राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों में राकेश की उम्र-15 वर्ष पिता सोनसिंह धुर्वे होना लिखा है। वादी के पुत्र राकेश की दिनांक-28.06.2015 को ग्राम खिरसाड़ी शुक्लाबाई गोंड के खेत में विद्युत करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में वादी ने पुलिस थाना गढ़ी में अपराध क्र. 49/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिसका अभियोगपत्र प्रदर्श पी-4 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि मोतीनाला की ओर से आने वाली 11 के.व्ही. की विद्युत लाईन ग्राम खिरसाड़ी से होते हुए ग्राम खलौंडी चंदनगांव की ओर गई थी, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी मोतीनाला, जिला मण्डला के लाईनमेन मिश्रीलाल उइके की थी। विद्युत पोल का तार एंगल (इंसुलेटर) टूटने से नीचे झूल रहा था। दिनांक-28.06.15 को शुक्लाबाई की खेत में मृतक राकेश उसके पिता के साथ धान बोने गया था एवं बैल-बोदे चरा रहा था। बैलों को लौटने के लिए मेढ़ से दौड़ते हुए आ रहा था, तब वह झूलते तार की चपेट में आ गया था और विद्युत करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट सहा.उप. निरीक्षक जे.एल. चौधरी ने मर्ग जांच कर लिखी थी।

12. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी-4 के अभियोगपत्र के साथ संलग्न पी.एम. रिपोर्ट से यह दर्शित है कि वादी के पुत्र राकेश की मृत्यु विद्युत करंट लगने से हुई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-1 के राकेश के जाति प्रमाणपत्र, राकेश के प्रदर्श पी-2 के आधार कार्ड एवं राकेश की वर्ष 2014-15 की कक्षा 9वीं की अंकसूची प्रदर्श पी-3 में राकेश के पिता के रूप में वादी का नाम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-6 के कनिष्ठ यंत्री के पत्र में यह उल्लेख है कि दिनांक-28.06.15 को प्रति.क्र. 1 लाईनमेन के पद पर मोतीनाला में एक वर्ष से पदस्थ था। प्रदर्श पी-6 के पत्र से यह प्रमाणित है कि प्रति.क्र.1 दिनांक-28.06.15 को मोतीनाला में पदस्थ था। थाना प्रभारी गढ़ी द्वारा जानकारी मांगने पर प्रति साक्षी क्र. 2 संदीप सोनी कनिष्ठ अभियंता ने प्रदर्श पी-7 के पत्र के द्वारा जानकारी दी थी कि विद्युत लाईन की देखरेख के लिए प्रति.क्र.1 एक वर्ष से मोतीनाला में पदस्थ था, संबंधित क्षेत्र की समस्त शिकायतों का निराकरण प्रति.क्र.1 के द्वारा करने की जवाबदारी थी। ग्राम खिरसाड़ी में वितरण केन्द्र सिमोरा से कनेक्शन नहीं दिये

जाते हैं। प्रदर्श पी-7 के पत्र से यह प्रमाणित है कि प्रति.क.1 मिश्रिलाल को घटनास्थल वाली विद्युत लाईन की देखरेख करनी थी, परंतु प्रति.क.1 ने घटनास्थल वाली विद्युत लाईन की देखरेख उचित रूप से नहीं की थी।

13. मिश्रिलाल प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद जब वह घटनास्थल पर गया था, तो घटनास्थल वाली विद्युत लाईन से लाईन तार नीचे उतर गया था। प्रति. साक्षी क.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-13 में यह स्वीकार किया है कि राकेश की मृत्यु के बाद जब वह एवं विद्युत विभाग वाले घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने विद्युत तार ढीली अवस्था में पाए थे, तार इंसुलेटर से निकले गए थे। प्रति. साक्षी क. 1 एवं 2 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटनास्थल पर विद्युत लाईन इंसुलेटर से नीचे उतर गया था। विद्युत लाईन को ठीक करने का कार्य विद्युत विभाग का होता है। उक्त तार को ठीक करने का कार्य प्रति.क.1 का था, जो म.प्र. विद्युत विभाग का कर्मचारी है। वह यदि घटनास्थल वाले विद्युत तार को ठीक करता तो मृतक राकेश की विद्युत करंट से मृत्यु नहीं होती।

14. वादी सोनसिंह धुर्वे वा.सा.1 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रति. क.1 एवं 2 अपनी लापरवाही के लिए वादी एवं उसके मृतक पुत्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। प्रति.क.1 एवं 2 को विद्युत लाईन को ठीक रखना थी, परंतु प्रति.क.2 की देखरेख में प्रति.क.1 ने घटनास्थल के इंसुलेटर से उतरे तार की देखरेख कर उन्हें जोड़ा नहीं था, इस कारण वादी के पुत्र राकेश की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। घटनास्थल प्रति.क.3 का खेत है। प्रति.क.3 के खेत से 11 के.व्ही. विद्युत लाईन के तार लापरवाहीपूर्वक झूलते हुए ग्राम खिरसाड़ी से होते हुए ग्राम खलौण्डी चंदनगांव की ओर गए थे। उक्त विद्युत तारों की देखरेख एवं ठीक करने का कार्य प्रति.क.3 का नहीं था। उक्त विद्युत तारों की देखरेख, उन्हें ठीक करने का कार्य प्रति.क.2 के अधिनस्थ कर्मचारी प्रति.क.1 का था, लेकिन प्रति.क.1 ने उक्त विद्युत तारों की उचित रूप से देखरेख कर उक्त विद्युत तारों को ठीक नहीं किया था। उक्त विद्युत तार लापरवाहीपूर्वक विद्युत खंभे के नीचे झूल रहे थे। उनसे टकराने के कारण वादी के पुत्र राकेश की मृत्यु हुई थी। प्रति.क.1 एवं 2 यदि सावधानी बरतते तो वादी के पुत्र की मृत्यु नहीं होती। वादी के पुत्र की मृत्यु प्रति.क.3 की लापरवाही से नहीं हुई थी। वादी के पुत्र की मृत्यु के लिए प्रति.क.3 उत्तरदायी नहीं है। प्रदर्श पी-4 के अभियोगपत्र के साथ संलग्न पी.एम. रिपोर्ट से वादी के पुत्र

राकेश की मृत्यु होना प्रमाणित होती है। वादी के पुत्र की मृत्यु प्रति.क.1 एवं 2 की लापरवाही के कारण हुई थी। वादी के पुत्र की मृत्यु होने के कारण स्वाभाविक है कि वादी को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है। मृतक राकेश धुर्वे कक्षा 9वीं का विद्यार्थी था। उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक थी। इस स्थिति में उसकी निश्चित आय अभिलेख पर साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, इसलिए मृतक राकेश धुर्वे की 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) वार्षिक आय मानी जाती है। इस प्रकार 2,70,000/—(दो लाख सत्तर हजार रुपये) भविष्य की आय की क्षति निर्धारित की जाती है। वादी उसके मृतक पुत्र राकेश धुर्वे के सहयोग एवं पुत्र सुख से वंचित हुआ है। इस कारण उत्पन्न मानसिक कष्ट के लिए वादी की 10,000/—(दस हजार रुपये) की क्षति होना मानी जाती है। वादी को उसके पुत्र के अंतिम संस्कार की मद में 10,000/—(दस हजार रुपये) एवं शव चिकित्सालय से उसके घर लाने के लिए 10,000/—(दस हजार रुपये) की अधिकारिता होना मानी जाती है।

15. इस प्रकार वादी कुल 2,70,000+ 10,000 +10,000 +10,000 = 3,00,000/—(तीन लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रति.क.1, प्रति.क. 2 के अधिनस्थ होकर कार्य करता है। इस कारण उक्त संपूर्ण राशि प्रति.क. 2 क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को अदा करेगा। वादी, प्रति.क.2 से 300,000/—(तीन लाख रुपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादप्रश्न क.1 एवं 2 का निष्कर्ष प्रमाणित है के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-3 का निराकरण

16. प्रकरण में वादी ने प्रतिवादीगण से 14% वार्षिक की दर से ब्याज भी मांगा है, परंतु वादी ने वर्तमान में ब्याज की प्रचलित दर क्या है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण वादी, प्रति.क.2 से 6% की वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का ही अधिकारी है।

वादप्रश्न कमांक-4 सहायता एवं व्यय

17. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी उसका वादपत्र प्रति.क.1 एवं 2 के विरुद्ध प्रमाणित करने में सफल रहा है। प्रति.क.3 के विरुद्ध प्रमाणित करने

में सफल नहीं रहा है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1- यह घोषित किया जाता है कि वादी, प्रति.क्र.2 से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) क्षतिपूर्ति की राशि एकमुश्त प्राप्त करने का अधिकारी हैं।
- 2- यह घोषित किया जाता है कि प्रति.क्र.2, 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की राशि वादी को निर्णय दिनांक से दो माह की अवधि में अदा करें।
- 3- प्रति.क्र.2 वादी को क्षतिपूर्ति राशि 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) पर 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वाद प्रस्तुति दिनांक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति दिनांक तक अदा करें।
- 4- वादी का वाद व्यय प्रति.क्र.2 वहन करेगा। वादपत्र पर माफ की गई न्यायशुल्क नियमानुसार डिक्री में जोड़ी जावे।
- 5- न्यायशुल्क की राशि न्याय प्रशासन के मद में जमा कराई जावे।
- 6- अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1,

तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / -

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1,

तहसील बैहर, जिला-बालाघाट